पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता
उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में समाप्त
की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना
पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किये कि
प्रश्नगत आराजी प्रार्थीया की संयुक्त परिवार
की आराजी है, एवं विरासतन प्राप्त होने
से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का विरासतन
हक हिस्सा है। प्रश्नगत आराजी घरू बंटवारा
नामा द्वारा प्रार्थीया को प्राप्त हुई जिस
पर बंटवारा के रोज से ही प्रार्थीगण के
कब्जा काश्त में है। प्रार्थीगण के दादा व
ससुर अप्रार्थी संख्या 1 जसवन्त सिंह
ने विरासतन जमीन का बेचान करके
प्रार्थीगण की दादी अप्रार्थी संख्या 2
गुरदेव कौर के नाम से चक नं. 17 MKS में
भूमि खरीद की थी। अतः इस भूमि में भी
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 ता 7 के मध्य
विरासतन भूमि का बंटवारा हो चुका है।
अप्रार्थीगण इस भूमि को खुर्द-बुर्द
करने को आमादा है एवं जबरदस्ती
काबिज होना चाहते हैं अतः अस्थाई

ख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल | इहकाम जोख की तामील

निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण/अनावेदकगण ने बहस में कथन किये कि प्रार्थी द्वारा जिस आराजी का अनुतोष चाहा गया है वह विरासतन प्राप्त आराजी नहीं है प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं अर्जित खरीद शुदा भूमि है। चक 17 MKS खातासंख्या 37/38 (0.87) खाता संख्या 98/84 (.453) खाता संख्या 67/5 (.759) खातासंख्या 31/27 (.860) की कृषि भूमि जरिये इन्तकाल बरखुदारी भाई फलवन्त सिंह से प्राप्त हुई है। अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण के साथ कभी घरू बंटवारा हुआ न कभी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कोई मौखिक इकरारनामा किया है। प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी की खरीद शुदा भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा गलत वंशावली प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है जिनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी 6-7 ने कथन किये कि प्रार्थना-पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर इहकाम की तामील
	प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 6 व 7 को कोई ऐतराज नहीं है।	
	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। आज्ञाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित निम्नांकित बिन्दुओं पर विचारण करना है :-	
	1 - प्रथम दृष्टया मामला	
	2. सुविधा का सन्तुलन	
	3- अपूरणीय क्षति	
	1- प्रथम दृष्टया मामला - पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 चक नं. 17 mksd खाता संख्या 67/5 19/12 में अप्रार्थी संख्या 1 गुरदेव कौर के नाम 1.265 है. आराजी खाता संख्या 37/28 में अप्रार्थी संख्या 2 जसवन्त सिंह के नाम 0.127 है. आराजी खाता संख्या 36/27 चक 18 mks में अप्रार्थी संख्या 1 जसवन्त सिंह के नाम 1.73 है. आराजी खाता संख्या 126/14 चक 18 mks में अप्रार्थी संख्या 1 जसवन्त सिंह के नाम 1.530 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इससे यह प्रकट होता है कि यह एक ला	

यानि इन खातों में अप्रार्थी संख्या 1 अथवा अप्रार्थी संख्या-2 के नाम प्रश्नगत आराजी दर्ज चली आ रही है) इन खातों की आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजी नहीं है) अधिवक्ता प्रार्थी संयुक्त आराजी के आधार पर खाता विभाजन तक स्थगन का अनुतोष चाहते हैं जबकि उक्त आराजी एकल खाता की है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पिरास्तन आधार पर प्रश्नगत आराजी में प्रार्थीगण का हक हिस्सा माना है) अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बैयनामा एवं खातवारशी से प्रश्नगत आराजी प्रथम दृष्टया खरीद शुदा प्रतीत होती है) अधिवक्ता प्रार्थी ने यद्यपि कथन किये कि यह आराजी पिरास्तन जमीन बेचकर खरीदी होने से पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में आती है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे इसकी ताईद हो। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है) खाता बंटवारा एवं मौखिक

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हक त्याग के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में बनने से प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।	
2-	सुविधा का सन्तुलन :- अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अनुतोषित आराजी संयुक्त खाते की न होकर एकल खाता की है। अतः प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बनने से सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में आता है। अतः यह बिन्दु प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।	
3-	अपूरणीय क्षति :- आवेदक प्रार्थी पक्ष ओंखाराम मौखिक हक त्याग एवं पैतृक सम्पत्ति के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर सके साथ ही यह बताने में विफल रहे कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण को किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रिकॉर्ड	

खारिज होने से अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। अतः यह बिन्दु प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित होने से अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 3.6.19 खारिज की जाती है। पक्षकारान को निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.12.11 14:35:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: